संख्या:34/2020/106/सत्रह-म-2019-6-9 (2)/19

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 08 अक्टूबर, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु कुल उपलब्ध केन्द्रांश 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख व मैचिंग राज्यांश रू0 324.1132 लाख को सम्मिलित करते हुए रू0 737.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-932 /नि0शा0/2020-21 दिनांक 07.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 400.00 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 36.423 लाख तथा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 399.238 लाख अर्थात कुल उपलब्ध केन्द्रांश 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख तथा प्राविधानित बजट धनराशि रू0 5000.00 लाख के अन्तर्गत मैचिंग राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 737.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 12 सितम्बर, 2018 तथा संशोधित पत्रांक- जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 31 जुलाई, 2019 द्वारा केन्द्रांश रू01608.86 लाख की परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी, जिसमें सामान्य मद,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए कुल रू0 रू0 1608.86 लाख के केन्द्रांश के अनुमोदित प्रस्तावों के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा सामान्य मद हेतु 569.43 लाख तथा समसंख्यक सम दिनांकित पत्र द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु रू0 177.00 लाख व अनुसूचित जनजाति मद हेतु रू0 58.00 लाख अर्थात इस प्रकार कुल केन्द्रांश रू0 804.43 लाख अवमुक्त किया गया था।

3- उल्लेखनीय है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में पत्रांक संख्या- जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के माध्यम से रू0 400.00 लाख का केन्द्रांश

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

अवमुक्त किया गया, जिसके सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रू0 650.00 लाख (केन्द्रांश रू0 400.00 लाख + राज्यांश रू0 250.00 लाख) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से धनराशि रू0 50.327 लाख (केन्द्रांश रू0 36.423 लाख +राज्यांश रू0 13.904 लाख) व्यय नहीं हो सकी। ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत ही वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में सामान्य मद में भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।।, दिनांक 15 जुलाई,2020 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 399.238 लाख अवमुक्त किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे/18001/1/2017-एफ0वाई0 दिनांक 23.04.2020 द्वारा वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत निर्गत केन्द्रांश को वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है।

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत केन्द्रांश में से अवशेष/पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 36.423 लाख तथा प्रश्नगत योजनन्तर्गत सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में तृतीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 399.238 लाख अर्थात इस प्रकार कुल उपलब्ध केन्द्रांश रू0 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 324.1132 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 737.48 लाख (रू0 सात करोड सैतीस लाख अडतालीस हजार मात्र) को निम्न तालिकानुसार 11 परियोजनाओं / मदों में श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम / श्रेणी/ फण्डिंग पैटर्न (के0+रा0+ला0)	भौतिक ईकाई (सं0/ हे0)	इकाई लागत	परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान	केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य मद में (अवमुक्त केन्द्रांश रू0 399.238 लाख +पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 36.423 लाख) के सापेक्ष निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाखमें)			अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	मत्स्य पालन हेतु निवेश (नये तालाबों हेतु) **(सामान्य)** (24%+16% +60%)	140	1.50	210.00	84.00	50.4000	33.6000	**84.0000**	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या- 932 / नि0 शा0/ 2020-21 दिनांक 07.09.2020 द्वारा
2	नये तालाबों का निर्माण **(महिला)** (36%+24% +40%)	64.8	7.00	453.60	272.16	4.3824	2.9216	**7.3040**	
3	मत्स्य पालन हेतु निवेश (नये तालाबों हेतु) **(महिला)** (36%+24%+40%)	64.8	1.50	97.20	58.32	0.9396	0.6264	**1.5660**	
4	आई0एम0सी0 हैचरियों की स्थापना **(सामान्य)** (24%+16% +60%)	1	25.00	25.00	10.00	6.0000	4.0000	**10.0000**	
5	मोटर साइकिल विथ आइस बाक्स का क्रय **(सामान्य)** (24%+16% +60%)	350	0.60	210.00	84.00	3.8304	2.5536	**6.3840**	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	आटो रिक्शा विथ इन्सुलेटेड आइस बाक्स यू0पी0एम0जे0एस0एस0**(सामान्य)** (24%+16% +60%)	5	2.00	20.00	8.00	2.4000	1.6000	**4.000**	संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार विवरण/ फांट के अनुसार ।
7	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम मध्यम आकार **(सामान्य)** (24%+16% +60%)	1	50.00	50.00	20.00	12.0000	8.0000	**20.0000**	
8	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम मध्यम आकार(यू0पी0एम0वी0एन0एल0 50:50:00)	8	50.00	400.00	400.00	200.0000	200.0000	**400.0000**	
9	मनरेगा तालाबों में निवेश (सामान्य) (24%+16%+60%)	350	1.50	525.00	210.00	105.5706	70.3804	**175.9510**	
10	मनरेगा तालाबों में निवेश **(महिला) (36%+24% +40%)**	58	1.50	87.00	52.20	0.6468	0.4312	**1.0780**	
	उपयोग					**386.1698**	**324.1132**	**710.2830**	
11	प्रशासकीय व्यय (केन्द्रांश का 3 प्रतिशत)					**27.1970**	**0.000**	**27.1970**	**मत्स्य निदेशालय स्तर से धनराशि के आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**
						413.3668	**324.1132**	**737.4800**	

(रू0 सात करोड सैतीस लाख अडतालीस हजार मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- 2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देर्शो व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(5) विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण,अवस्थापना क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का दायित्व होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र संख्या- बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017- एफवाई, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(12) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

5- उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ (यू0पी0एम0वी0एन0एल0) को प्रस्तर-4 की तालिका के क्रमांक-(8) पर अंकित परियोजनाओं हेतु तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0,लखनऊ (यू0पी0 एम0जे0 एस0एस0) को क्रमांक- (6) में अंकित परियोजनाओं हेतु निर्गत की जा रही धनराशि को निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार आहरण कर निर्धारित प्रक्रियानुसार उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ एवं उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-793/ ई-1-दस-2020, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2020/106(1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com